उत्तर प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन अनुभाग
संख्या-3/2022/499/तीन-2022-39(2)/2016
लखनऊः दिनाँक: 17 अगस्त, 2022

<u>विज्ञप्ति</u>

सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति संख्या-514/तीन-2021-39(2)-2016 दिनाँक 20 अक्टूबर, 2021 द्वारा वर्ष 2022 हेतु घोषित अवकाशों में दिनाँक 18 अगस्त, 2022 (गुरूवार) को जन्माष्टमी को निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

2- हिन्दू पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी का त्योहार दिनांक 19 अगस्त, 2022 को मनाये जाने की सूचना प्राप्त हुई है। ऐसी स्थिति में जन्माष्टमी का त्योहार दिनाँक 18 अगस्त, 2022 (गुरूवार) के स्थान पर दिनांक 19 अगस्त, 2022 (शुक्रवार) को मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में जन्माष्टमी के त्योहार हेतु दिनाँक 18 अगस्त, 2022 के स्थान पर दिनांक 19 अगस्त, 2022 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। तद्नुसार विज्ञप्ति दिनाँक 20 अक्टूबर, 2021 यथासंशोधित समझी जाए।

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-ः3/2022/499 (1)/तीन-2022-39(2)/2016, तद्दिनाँक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
3- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4- मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5- रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ को सूचनार्थ एवं ऐसी कार्यवाही हेतु प्रेषित जिसे मा0 उच्च न्यायालय आवश्यक समझे ।
6- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
7- समस्त विभागाध्यक्ष/मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8- प्रमुख सचिव, विधान परिषद्/विधान सभा, उ0प्र0।
9- सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्यो का विभाग, नई दिल्ली।
10- सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

11- प्रबन्धक एवं संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति-बैंक आफ बड़ौदा, आंचलिक कार्यालय, 45, भारतीय जीवन बीमा निगम बिल्डिंग, हजरतगंज, लखनऊ।

12- क्षेत्रीय निदेशक, उ0प्र0 एवं उत्तराखण्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर-208001 ।

13- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस विज्ञप्ति का आवश्यक प्रसार एवं प्रचार कराने हेतु।

14- महाप्रबन्धक, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, गोमती नगर, लखनऊ।

15- संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्राणालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति का उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में प्रकाशन कराकर उसकी 400 प्रतियॉ सामान्य प्रशासन अनुभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु।

16- तकनीकी निदेशक, नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेन्टर (उ0प्र0 राज्य इकाई), योजना भवन, लखनऊ को सामान्य प्रशासन विभाग की 'वेबसाईट ' पर डालने हेतु।

17- कुलपति, डा0 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।

18- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
उमेश यादव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।